

प्रेषक,

महानिदेशक,

दीनदयाल उपाध्याय,

राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,

बख्शी का तालाब, लखनऊ।

सेवा में,

1. आचार्य,

क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, रायबरेली, इटावा तथा मैनपुरी।

2. जिला प्रशिक्षण अधिकारी,

जिला ग्राम्य विकास संस्थान,

कानपुर, फतेहपुर, कासगंज, कन्नौज, ललितपुर व बाराबंकी।

पत्रांक : 1143

/पिमकार्य0/2013-14

दिनांक : 29 दिसम्बर, 2014

विषय : उ0प्र वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण में सहभागी सहप्रबन्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु रूट चार्ट कि तैयारी विषयक।

अध्यक्ष, पैक्ट एवं प्रमुख सचिव-II, सिंचाई, उ0प्र0वा0से0रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना वाल्मी भवन, उत्तरेटिया, लखनऊ के सलंगनक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें फेज-02 के समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे वांछित सूचनायें (निर्धारित प्रपत्र पर) आपको उपलब्ध करायें ताकि जागरूकता अभियान के लिये रूट चार्ट तैयार किया जा सके। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता से सम्पर्क कर यथाशीघ्र प्रपत्र 01 व प्रपत्र 02 पर वांछित सूचनायें तथा सम्बन्धित कमाण्ड का मानचित्र प्राप्त करें तथा सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता के साथ विचार विमर्श करके जागरूकता हेतु रूट चार्ट तैयार कर माह मई में होने वाली समीक्षा बैठक में श्री अशोक कुमार, सहायक निदेशक/सह समन्वयक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ० वरदानी)

अपर निदेशक


प्रकाशित
डॉ. वरदानी
28/11/14

प्रेषक,

अध्यक्ष, पैक्ट एवं प्रमुख सचिव-II, सिंचाई,
उ0प्र0वा0से0रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना
वाल्मी भवन, उत्तरेटिया
लखनऊ।

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता,
रामगंगा संगठन,
सिंचाई विभाग, कानपुर।
2. मुख्य अभियन्ता,
बेतवा संगठन,
सिंचाई विभाग, झांसी।
3. मुख्य अभियन्ता,
शारदा सहायक संगठन
सिंचाई विभाग, तेलीबाग, लखनऊ।



पत्रांक: /पिम/पैक्ट/19 (SIRD)

दिनांक: 25-04-2014

विषय: परियोजना के द्वितीय चरण में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा कृषकों के मध्य सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के प्रति जागरुकता उत्पन्न किया जाना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वॉटर सैक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण में कृषकों के मध्य सहभागी सिंचाई प्रबन्धन के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना का कार्य पं0 दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा किया जाना निर्धारित है। संस्थान द्वारा परियोजना से आच्छादित कुल लगभग 4 हजार ग्रामों में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु पिम रथ का संचालन किया जाना है। इस क्रम में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं (निर्धारित प्रपत्र पर) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है-

- खण्डवार अधिशासी अभियन्ता, जिलेदारों एवं सींचपालों के नाम एवं मोबाइल नम्बर (प्रपत्र-1)।
- कमाण्ड मानचित्र की प्रति।
- रुट चार्ट तैयार करने हेतु सूचना (प्रपत्र-2)।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन कार्यरत अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित कर दें कि उक्त सूचनाएं राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के सम्बन्धित जनपदीय आचार्य/जिला प्रशिक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुरेश चन्द्रा)
अध्यक्ष, पैक्ट एवं
प्रमुख सचिव-II, सिंचाई

पत्रांक : 1166 पिम/पैक्ट/19 (SIRD)/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. महानिदेशक, पं०दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, पैक्ट।
3. अधिशासी अभियन्ता, एल०जी०सी० अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, एटा को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड कासगंज को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. अधिशासी अभियन्ता, एल०जी०सी०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, एल०जी०सी०, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कन्नौज को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. अधिशासी अभियन्ता, एल०जी०सी० इटावा को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, भोगनीपुर खण्ड एल०जी०सी० इटावा को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड औरैया को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. अधिशासी अभियन्ता, फतेहपुर खण्ड एल०जी०सी० फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड कौशाम्बी को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
17. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड—प्रथम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
18. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड ललितपुर को इस आशय से प्रेषित की वाँछित सूचनाएं सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुरेश चन्द्रा)
अध्यक्ष, पैक्ट एवं
प्रमुख सचिव-II, सिंचाई

